



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 196 / 45 / 2015 / परीक्षा

रायपुर, दिनांक 11 MAY 2016

“ सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं व्याख्याता (पॉलीटेक्निक संस्था) परीक्षा-2015 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना ”

सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं व्याख्याता (पॉलीटेक्निक संस्था) परीक्षा-2015 की लिखित परीक्षा दिनांक 22.05.2016 को प्रातः 09.00 बजे से 12.00 बजे तक संभाग-सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र दिनांक 11.05.2016 को आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जाएगा।

2/ उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, या जो अपने दाएं-बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (10+2) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी, सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सहायक लेखक की दो पासपोर्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व आयोग कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (परीक्षा) से अनिवार्यतः संपर्क करें।

3/ अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं व्याख्याता (पॉलीटेक्निक संस्था) परीक्षा-2015 में केल्व्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन और पेजर लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,

रायपुर